# छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय रायपुर

क्रमांक /वि.स./स्था /2017 रायपुर, दिनांक /2017

## // कार्यालय आदेश//

आदेशानुसार, फरवरी-मार्च, 2017 सत्र के दौरान जिस दिन सभा की बैठक होगी, उन दिनों में विधान सभा सचिवालय का कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.30 बजे तक रहेगा, किन्तु यदि सभा की बैठक निर्धारित समय से अधिक समय तक चलती है तो कार्यालय का समय सभा की बैठक समाप्त होने के एक घण्टे पश्चात् तक रहेगा ।

दिनांक 18, 24 एवं 26 फरवरी, 2017 तथा 5,18,19, एवं 26 मार्च, 2017 को कार्यालय का समय प्रातः10.30 बजे से सायं 05.30 बजे तक तथा दिनांक 27.2.2017 को प्रातः 09.30 बजे से 06.30 बजे तक या कार्य समाप्ति तक रहेगा ।

समस्त अधिकारी निर्धारित कार्यालय समय के पश्चात् प्रमुख सचिव महोदय की अनुमति प्राप्त कर एवं समस्त कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात् अपने प्रभारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ही कार्यालय छोड़ेंगे ।

समस्त अधिकारी/ कर्मचारी उन्हें प्रदायित रेमण्ड सफारी में दृष्टव्य रूप से अपना परिचय पत्र लगाकर कार्यालय आयेंगे । समस्त वाहन चालक /चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी उन्हें प्रदाय किए गए निर्धारित ड्रेस, जूते एवं टोपी पहनकर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे ।

सत्र के दौरान घड़ी चौक एवं सिद्धार्थ चौक जाने वाली बस का प्रस्थान समय कार्यालय समय के 30 मिनट पश्चात् तथा विजेता काम्पलेक्स जाने वाली मिनी बस का प्रस्थान समय कार्यालय समय के 01 घण्टे पश्चात् रहेगा ।

आदेश से

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 208 /वि.स./स्था /2017 रायपुर, दिनांक 16/2 /2017

**प्रतिलिपि**

01. मान.अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान.अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. मान. नेता प्रतिपक्ष, छ.ग. विधान सभा के निज सचिव को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
03. मान. उपाध्यक्ष, छ.ग. विधान सभा के निज सहायक को मान. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
04. प्रमुख सचिव, छ.ग विधान सभा सचिवालय के निज सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
05. समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
06. सर्वर कक्ष ।

वित्तीय समिति अधिकारी
छत्तीसगढ़ विधान सभा